न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

कैम्प– लूणवा

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादी :–
रामेश्वरलाल पुत्र तुलछाराम जाट
सा. पीपराली तह. नांवा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रेखाराम पुत्र तुलछाराम
2. पेमाराम पुत्र घीसाराम
3. रूघाराम पुत्र घीसाराम
4. श्रवणराम पुत्र रामूराम
5. गणेश पुत्र रामूराम
6. पतासी पत्नी रामूराम
7. गीदाराम पुत्र नन्दाराम
8. सोहनलाल पुत्र नन्दाराम
9. झूताराम पुत्र नन्दाराम
10. ओमप्रकाश पुत्र नन्दाराम
11. प्रेमाराम पुत्र नन्दाराम
12. बाबूलाल पुत्र नन्दाराम
13. मदनलाल पुत्र मोहनराम
14. गोपाल पुत्र मोहनराम
15. हेमाराम पुत्र मोहनराम
16. डालू पुत्र मोती
17. रूपा पुत्री घासा
    जाति सभी जाट सा. पीपराली
18. शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी. बैंक चौमू
19. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा
उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर वकील वादी

मुकदमां नम्बर :– 71/2014 निर्णय दिनांक :– 25/5/17

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम शेरपुरा के खसरा नम्बर 1 रकबा 3.64 हैक्टयर भूमि वादी व प्रतिवादी 1 से 15 की संयुक्त खातेदारी भूमि हैं उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी 2 से 6 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी 7 से 12 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी 13 से 15 का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं इसी अनुसार मौके पर बंटवारा कर अलग अलग काबिज काश्त हैं उक्त भूमि में प्रतिवादी 16 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी 17 का 1/4 हिस्सा दर्ज हो गया हैं जबकि प्रतिवादी 16 के नाम का व्यक्ति का इस भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा हैं व रूपाराम पुत्री घीसाराम व रूघाराम पुत्र घीसाराम नाम का एक ही व्यक्ति हैं दो अलग अलग व्यक्ति नही हैं तथा सम्पूर्ण

DM 25/5/17
अधिकारी

भूमि पूर्व खातेदार भूराराम के नाम दर्ज चली आ रही हैं इस सम्पूर्ण भूमि में जागीर के समय भूराराम काबिज होकर उपयोग उपभोग करत आ रहे हैं तथा भूराराम का स्वर्गवास होने पर वादी व प्रतिवादीगण के दादा पिता का नाम दर्ज रिकार्ड हुआ हैं तथा मौके पर हो रखे बंटवारे के मुताबिक प्रतिवादी 16 का नाम हटाया जाकर खातेदारी घोषणा कर बंटवारा घोषित करवाऐ जाने की इस्तदुआ वादी ने की हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 16 के सम्मनों पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट प्राप्त हुई की इस नाम के कोई व्यक्ति ग्राम पीपराली में निवास नहीं करत हैं न ही कभी निवास करता था तथा प्रतिवादी 17 रूपा पुत्र घीसा व प्रतिवादी 3 रूघाराम पुत्र घीसाराम दोनों एक ही व्यक्ति रूघाराम पुत्र घीसाराम हैं दो अलग अलग व्यक्ति नही हैं। तत्पश्चात पत्रावली " न्याय आपके द्वार " राजस्व लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत लूणवां में नियत की गई जहां वादी व प्रतिवादीगण 1 से 15 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर वादी का वाद स्वीकार करते हुऐ राजीनामा पेश कर वाद में वर्णित अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी घोषणा की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किऐ जाने का निवेदन किया गया है, उपस्थित मौतबरान ने भी वादी का वाद सही होना स्वीकार किया हैं तथा मौके पर बंटवार होकर वर्णित हक हिस्से अनुसार ही काबिज काश्त होना बताया हैं तथा प्रतिवादी 16 डालूराम नाम का व्यक्ति ग्राम पीपराली में कभी भी निवास नहीं करना बताया हैं तथा रूपा पुत्र घीसा व रूघाराम पुत्र घीसाराम दोनों का नाम का एक ही व्यक्ति प्रतिवादी 3 होना बताया हैं प्रतिवादी 16 डालूराम नाम का व्यक्ति कभी भी ग्राम में नहीं रहा हैं इस सम्बन्ध में संरपच ग्राम पंचालय मुण्डघासोई ने प्रमाण पत्र दिया हैं जिसकी तस्दीक उपस्थित मौतबरान एवं ग्राम के मौजीज व्यक्तियों ने की हैं। वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के अनुसार ग्राम शेरपुरा के खसरा नम्बर 1 रकबा 3.64 हैक्टयर भूमि की खातेदारी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड हैं जिससे वादी का वाद साबित होता हैं।

अतः वादी का वाद लोक अदालत की भावना से जरिये राजीनामा स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम शेरपुरा के खसरा नम्बर 1 रकबा 3.64 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी 16, 17 का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण भूमि में 1/4 हिस्से का वादी व प्रतिवादी 1 को तथा 1/4 हिस्से का प्रतिवादी 2 से 6 को व 1/4 हिस्से का प्रतिवादी 7 से 12 को एवं 1/4 हिस्से का प्रतिवादी 13 से 15 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा तदनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित भूमि का मौके पर हो रखे बंटवार एवं कब्जे काश्त के मुताबिक अलग – अलग होल्डिंग कायम की जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज राजस्व लोक अदालत शिविर लूणवां में दिनांक 25/5/17 को सुनाया गया।

25/5/17

(एस.एम.शाह)
उपखण्ड अधिकारी, नावां
उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)